क्रम संख्या–17

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई0
पौष 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 499 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003
देहरादून, 15 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 पर दिनांक 13–01–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 27, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003

(अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2003)

उत्तरांचल राज्य में प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और उसका गठन करने एवं उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित :–

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1. (1) यह अधिनियम "उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003" कहा जायेगा।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

परिभाषायें

2. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "प्राविधिक शिक्षा" का तात्पर्य तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा से है, जो विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है तथा जिसके लिए डिप्लोमा स्तर (2 से 3 वर्ष), स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक (3 से 4 वर्ष) की अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे सिविल, विद्युत, यांत्रिक, रासायनिक अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणन (इन्स्ट्रूमेन्टेशन), सूचना प्रौद्योगिकी, वास्तुविद्या (आर्किटेक्चर), कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भेषजी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इन्टीरियर डिजाइन एवं डेकोरेशन, कार्यालय प्रबन्धन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित एवं उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अन्य विविध व्यावसायिक तथा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है;

(ख) 'परिषद्" का तात्पर्य उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है;

(ख–1) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" (AICTE) का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(ग) "केन्द्र" का तात्पर्य ऐसी संस्था या स्थान से है जिसे परीक्षाओं के संचालन हेतु परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। इसमें इससे सम्बद्ध अथवा संलग्न परिसर भी सम्मिलित हैं;

(घ) "सम्बद्ध संस्था" का तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों (स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से भिन्न) के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार परिषद् से सम्बद्ध किसी सरकारी, शासकीय सहायता प्राप्त अथवा निजी क्षेत्र की स्ववित्त पोषित संस्था से है;

(च) "प्रमाण–पत्र" से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे पाठ्यक्रमों को जिन्हें नियमों अथवा विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए, किसी सम्बद्ध संस्था से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त परिषद् द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण–पत्र से है;

(छ) "डिप्लोमा" से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे पाठ्यक्रम, जिन्हें नियमों एवं विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए, किसी सम्बद्ध संस्था से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत आरम्भिक डिप्लोमा, एडवान्स डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा, इन्टरमीडिएट डिप्लोमा अथवा उत्तर (पोस्ट) डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने पर परिषद् द्वारा दिए जाने वाले डिप्लोमा से है;

(ज) "अध्यक्ष" का तात्पर्य इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन नियुक्त परिषद् के अध्यक्ष से है;

(झ) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के उपाध्यक्ष से है;

(ट) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल सरकार से है;

(ठ) "सचिव" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सचिव से है;

(ड) सम्बद्ध संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्धन या प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य उस प्रबन्ध समिति अथवा शासी निकाय से है, जो उस संस्था के कार्यों का संचालन करती है;

(ढ) "विनियम" का तात्पर्य परिषद् द्वारा अनुमोदित इस अधिनियम के अधीन बनाये गये उप नियमों से है;

(त) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 15 से 18 तक के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है;

(थ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(द) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

परिषद् की स्थापना

3. राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी जिसका नाम उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् होगा और इस तथ्य के होते हुए भी कि सदस्यों के एक या उससे अधिक स्थान अभी भरे जाने हैं, ऐसी अधिसूचना इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय की जा सकती है।

परिषद् एवं शासी निकाय की संरचना

4. (i) अध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन, परिषद् के अध्यक्ष (पदेन) होंगे। अध्यक्ष की ऐसी शक्तियां होंगी जैसा कि इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों द्वारा उन्हें प्रदान की जाएं;

(ii) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा;

(iii) राज्य सरकार के उद्योग, वित्त, कार्मिक तथा योजना विभाग में से प्रत्येक का एक–एक प्रतिनिधि;

(iv) मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो प्राविधिक शिक्षा का कार्य संपादित कर रहा हो;

(v) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि;

(vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की का एक प्रतिनिधि (जो आचार्य/सहायक आचार्य स्तर से कम का न हो);

(vii) उत्तरांचल सरकार के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों से, जिनमें अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषयों के पाठ्यक्रम सम्मिलित हों, प्रत्येक का एक–एक प्रतिनिधि;

(viii) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग;

(ix) मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग;

(x) मुख्य अभियंता, जल निगम;

(xi) प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन;

(xii) परिषद् से सम्बद्ध एवं राजकीय संस्थानों के प्रधानाचार्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रधानाचार्य;

(xiii) निदेशक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उत्तरांचल;

(xiv) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग, उत्तरांचल;

(xv) उद्योग निदेशक, उत्तरांचल;

(xvi) प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि;

(xvii) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल;

(xviii) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे;

(xix) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् का कार्यालय, रुड़की (हरिद्वार) में स्थित होगा।

विशेषज्ञों का सहयोजन

5. परिषद्, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, स्नातक स्तर के इंजीनियरी महाविद्यालयों तथा उद्योग के सुसंगत क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से अनधिक तीन ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी, जो उसके द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमों के विषयों के विशेषज्ञ होंगे। सहयोजित व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक की सहयोजिता अवधि गजट में अधिसूचित की जाएगी।

सदस्यों का कार्यकाल

6. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

परिषद् की बैठक

7. परिषद् की बैठक ऐसे स्थान और समय पर निर्धारित की जायेगी, जैसा कि परिषद् के अध्यक्ष निर्देशित करेंगे। यह बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार अवश्य होगी। वर्ष के अन्त में परिषद् की एक वार्षिक साधारण बैठक भी होगी। आपात स्थिति में अध्यक्ष अल्प सूचना पर परिषद् की बैठक बुला सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं।

परिषद् के अधिकारी

8. परिषद् के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) सचिव;

(ख) संयुक्त सचिव;

(ग) उप सचिव;

(घ) सहायक सचिव;

(च) वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी।

राज्य सरकार, प्रस्तर 8 के (क) से (घ) में उल्लिखित पदों पर किसी उपयुक्त अभ्यर्थी को प्राविधिक शिक्षा विभाग के बाहर से खुले चयन के आधार पर अथवा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल में कार्यरत समान पदक्रम और समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों को स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित होंगे।

वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी तथा यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियमों के अधीन विहित किए जायं अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

9. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् के निम्नलिखित कृत्य एवं कर्तव्य होंगे:–

(क) संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना, पाठ्यक्रमों का निर्धारण, मुख्य परीक्षा का संचालन तथा निम्न कक्षाओं से उच्चतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम के उन्नयन हेतु निर्देश देना;

(ख) परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं मानकों को पूर्ण करने वाली संस्थाओं के लिए परीक्षाओं तथा डिप्लोमा/उपाधियां प्रदान करने के प्रयोजन के लिए परिषद् की सम्बद्धता प्राप्त करनी अनिवार्य है। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण तथा उनके पंजीकरण की व्यवस्था एवं उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करना;

(ग) सम्बद्ध संस्थाओं के भवन एवं उपकरणों के मानक निर्धारित करना;

(घ) सम्बद्ध संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया विहित करना;

(च) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा (परीक्षाओं) में छात्रों को सम्मिलित होने के लिये अनुमति प्रदान करना;

(छ) प्रवेश परीक्षा एवं सामान्य परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करना तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मानकों के अनुसार डिप्लोमा अथवा प्रमाण–पत्र प्रदान करना;

(ज) तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास हेतु इस अधिनियम के अधीन उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को परामर्श देना;

(झ) प्रवेश परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं हेतु शुल्क निर्धारण तथा नियमानुसार लेखा एवं खातों का रख–रखाव;

(ट) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का अनुपालन;

(ठ) अंशदान, भारत सरकार तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनुदान आदि प्राप्त करना;

(ड) ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान किए जाएं;

(ढ) (i) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अन्तर्गत परिषद् को समस्त ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों;

(ii) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् को विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :–

(क) परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट मापदण्डों एवं मानकों को पूर्ण न करने वाली संस्था की सम्बद्धता निरस्त करना;

(ख) किसी भी परीक्षा को निरस्त करना अथवा किसी भी छात्र अथवा सम्पूर्ण संस्था का परीक्षाफल रोके रखना और किसी भी छात्र को भविष्य में परिषद् की किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति न देना, यदि वह निम्न प्रकार से दोषी पाया जाता है :

* परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया गया हो;
* संस्था में प्रवेश एवं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन–पत्र में गलत विवरण दिया गया हो अथवा सारवान सूचना या तथ्यों को छुपाया गया हो;
* परीक्षा में कपटपूर्ण व्यवहार अथवा छद्म व्यक्तिता;
* ऐसी परीक्षा में प्रवेश नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन कर परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करना;
* परीक्षा काल में घोर अनुशासनहीनता :

परन्तु, परिषद् की किसी सद्भाविक त्रुटि के कारण परीक्षाफल घोषित होने के 90 दिन के उपरान्त कोई भी परीक्षाफल निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

राज्य सरकार की शक्तियां

10. (क) परिषद् द्वारा किये गये अथवा संचालित किसी कार्य अथवा किसी विषय के सम्बन्ध में जिसका परिषद् से सम्बन्ध हो, राज्य सरकार परिषद् में अपना मत व्यक्त कर सकती है। तत्पश्चात् उस सम्बन्ध में परिषद् द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में परिषद् राज्य सरकार को सूचित करेगी;

(ख) यदि परिषद् युक्ति–युक्त समय सीमा में ऐसी कार्यवाही करने में, जिससे राज्य सरकार का समाधान हो जाए, असफल रहती है, तो राज्य सरकार परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अथवा प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों से सुसंगत निर्देश जारी कर सकती है, ऐसे समस्त कदम उठा सकती है जो वह आवश्यक समझे। परिषद् को विनिर्दिष्ट समय के अन्दर उक्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा अन्यथा राज्य सरकार ऐसे सभी कदम उठा सकती है जो वह ऐसे निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक समझे;

(ग) धारा 10 की उपधारा (क) व (ख) में किसी बात के होते हुए भी किसी भी आपात स्थिति में यदि राज्य सरकार के विचार से तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित है तो वह परिषद् को पहले से निर्दिष्ट किए बिना इस अधिनियम के विशिष्ट उपबन्धों से सुसंगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है, जो वह उचित समझे;

(घ) राज्य सरकार की इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन किसी तकनीकी संस्था का, जिसको आरम्भ करने या खोले जाने की राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो, आवश्यकतानुसार किसी भी समय निरीक्षण करने की शक्ति होगी। यदि मान्यता प्राप्त कोई संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा निर्धारित मापदण्डों अथवा मानकों को पूर्ण नहीं करते और उनके अनुसार कार्य न करती हुई पायी गयी तो राज्य सरकार को अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस लेने की शक्ति होगी।

अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

11. (क) अध्यक्ष को परिषद् के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाहियां करने का अधिकार होगा और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(ख) इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन गठित समितियों की संस्तुतियों पर अध्यक्ष को ऐसे निर्णय लेने की शक्ति होगी जो कि परिषद् के अधिकार क्षेत्र में हो और जैसा कि वह उचित समझे। अध्यक्ष ऐसे प्रत्येक निर्णय के सम्बन्ध में आगामी वार्षिक साधारण बैठक में परिषद् के शासी निकाय को सूचित करेगा;

(ग) परिषद् इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा धारा 10 की उपधारा (ख) व (ग) के अन्तर्गत पारित आदेशों की पुष्टि कर सकती है और अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण उत्पन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकती है जो वह समीचीन और आवश्यक समझे;

(घ) धारा 10 की उपधारा (ख) व (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा तत्काल लिए गए निर्णयों से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अथवा पारित आदेश अंतिम होंगे तथा उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी और वह अध्यक्ष अथवा परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश पर अधिभावी होंगे।

उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

12. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो नियमों द्वारा विहित हों तथा इस धारा के अधीन अध्यक्ष अथवा परिषद् द्वारा प्रतिनिधानित किए जाएं।

सचिव की शक्तियां और कर्तव्य

13. सचिव, परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा एवं अध्यक्ष तथा परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी रहेगा, वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं, विशेषकर :–

(1) वार्षिक आय–व्यय का लेखा एवं अनुमान तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा;

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि परिषद् को आवंटित समस्त धनराशि का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए ही किया जा रहा है, जिनके लिए वह आवंटित की गई है;

(3) परिषद् के कार्यवृत्तों का ब्योरा रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(4) परिषद् की बैठकों में उपस्थित रहने, और कार्यवाही में भाग लेने का हकदार होगा।

समितियों एवं उप समितियों का गठन

14. (1) परिषद् विभिन्न समितियों जैसे पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति, प्रवेश परीक्षा समिति एवं अन्य कोई समिति जिसको नियमों द्वारा विहित किया जाए, गठित करेगा। परिषद् का सचिव ऐसी प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा;

(2) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर सचिव/संयुक्त सचिव प्रवेश परीक्षा समिति का पदेन अभिहित निदेशक होगा;

(3) उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन गठित समितियों के ऐसे सदस्य एवं अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें प्रत्येक मामले में परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाय। समिति के सदस्य का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा कि नियमावली द्वारा विहित किया जाए;

(4) परिषद् की किसी भी समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को तथा ऐसी अवधि के लिए सहयोजित किया जा सकता है जैसा कि वह उचित समझे किन्तु ऐसे सहयोजित व्यक्तियों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी;

(5) परिषद् का सहयोजित सदस्य परिषद् के अध्यक्ष से लिखित रूप में अनुरोध कर त्याग–पत्र दे सकता है;

(6) उपधारा (5) के अन्तर्गत त्याग–पत्र देने अथवा किसी अन्य कारण से हुई समिति की आकस्मिक रिक्ति उपधारा (3) व (4) में विहित रीति से नई नियुक्ति अथवा सहयोजन द्वारा, यथास्थिति, भरी जाएगी;

(7) इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति समिति ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए तथा ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, उप समितियों का गठन कर सकेगी।

परिषद् के नियम बनाने की शक्तियां

15. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए परिषद् से सम्बद्ध किसी मामले और किसी विषय, विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए, राज्य सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी :–

(क) परिषद् के कार्यालयों एवं अधिकारियों के कार्य सम्पादन की प्रक्रिया और ऐसी इकाइयों का गठन जिसे इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है;

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति अथवा भर्ती की, जो भी लागू हो, रीति, चयन प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें एवं उनके कर्तव्य एवं शक्तियां;

(ग) विभागों का सृजन, उद्विकास एवं पुनर्गठन;

(घ) डिप्लोमा प्रदान करने की प्रक्रिया;

(च) छात्रवृत्तियां प्रदान करने से सम्बन्धित प्राविधान;

(छ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया जिसमें स्थानों का आरक्षण भी शामिल है;

(ज) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;

(झ) अन्य विषय जिन्हें विहित किया जाना है अथवा किया जाए;

(ट) प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था तथा इसके लिये आवश्यक प्राविधान।

विनियम बनाने की शक्तियां

16. परिषद् को इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की शक्ति होगी और इस प्रकार बनाए गए विनियम राज्य सरकार को उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे, जैसा कि समय–समय पर आवश्यक और समीचीन हो।

17. परिषद् इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये विनियमों का प्राविधान कर सकेगी, अर्थात्;

(क) संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश एवं नामांकन;

(ख) डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा केन्द्रों, परीक्षकों, परिनिरीक्षकों, सारणीकारों, प्रश्न–पत्र तैयार करने वालों, अनुसीमकों (मॉडरेटर) आदि की नियुक्ति प्रक्रिया एवं उनके दायित्व;

(घ) डिप्लोमा परीक्षा तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं की परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(च) सम्बद्ध संस्थाओं के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(छ) उन संस्थाओं एवं उनके संप्रवर्तकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही जिन्हें इन संस्थाओं के संचालन में इस अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा;

(ज) अन्य सभी विषय जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन नियमों में प्राविधान किया जाय;

(झ) परिषद् को केन्द्र अधीक्षकों, परिनिरीक्षकों, परीक्षकों, प्रश्न–पत्र तैयार करने वालों, अनुसीमकों (मॉडरेटर) के पारिश्रमिक, मानदेय की, परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों तथा अन्य समिति एवं समितियों के सदस्यों, उनके सहयोजित सदस्यों को देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की दर तथा उनके भुगतान करने की रीति निश्चित करने की शक्ति होगी;

(ट) परिषद् किसी भी संस्था में प्रवेश अथवा परीक्षा की तब तक अनुमति नहीं देगी जब तक कि इसका समुचित रूप से निरीक्षण नहीं कर लिया गया हो तथा परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुति न की गयी हो और उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्रदान न की गई हो।

18. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए परिषद् अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या वर्तमान विनियमों को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

प्रकीर्ण

19. परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा निबन्धन समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

20. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।

परिषद् की निधियां

21. (1) (क) परिषद् की एक सामान्य (वैयक्तिक खाता लेखा–पी0एल0ए0) निधि होगी जिसमें निधियां जमा की जा सकेंगी;

(ख) प्रवेश परीक्षा के लिए पृथक सामान्य निधि (लेखा) रखी जाएगी।

(2) परिषद् द्वारा उपरोक्त के अनुसार सामान्य निधियां रखी जाएंगी जिनमें निम्नलिखित निधियां जमा की जाएंगी :–

(क) परीक्षा शुल्क जो परिषद् द्वारा प्रभारित किया जाए;

(ख) प्रवेश परीक्षा से प्राप्त समस्त शुल्क;

(ग) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(घ) परिषद् द्वारा किए गये सभी अंशदान;

(च) किसी अन्य निकाय या व्यक्ति द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान, दान अथवा भारत सरकार या अन्य वित्त पोषक एजेंसी से प्राप्त अनुदान;

(3) परिषद् की सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग परिषद् के आवर्तक एवं अनावर्तक मदों पर आने वाले व्यय हेतु किया जायेगा;

(4) प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित सभी व्यय की पूर्ति प्रवेश परीक्षा के लिए अनुरक्षित सामान्य निधि से की जाएगी।

आम सभा की वार्षिक बैठक

22. परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर तैयार किया जाएगा तथा शासी निकाय के अनुमोदनार्थ आम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

लेखों का अनुरक्षण

23. (i) परिषद् के वार्षिक लेखे तथा तुलन–पत्र तैयार किये जायेंगे जिसमें समस्त आय और व्यय दर्शाया जाएगा।

(ii) इसी प्रकार समस्त आय–व्यय दर्शाते हुए प्रवेश परीक्षा के पृथक लेखे और तुलन–पत्र तैयार किये जायेंगे।

(iii) परिषद् की सामान्य निधि के लेखों की लेखा–परीक्षा लेखा नियमावली के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित रीति से की जाएगी।

(iv) प्रवेश परीक्षा के लेखों की लेखा–परीक्षा प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जायेगी।

(v) वार्षिक लेखे, तुलन–पत्र तथा लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन आम सभा की वार्षिक बैठक में शासी निकाय के समक्ष रेखे जायेंगे तथा तत्पश्चात् राज्य सरकार को भेजे जायेंगे।

कठिनाइयों के निराकरण की शक्तियां

24. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों।

निरसन और अपवाद

25. (1) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 (अध्यादेश संख्या 08, वर्ष 2003) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी0 लाल,

सचिव।